<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 02.06.2026</u>

<u>थाना को0 नगर पुलिस द्वारा वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, 05 अदद चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद, 03 अभियुक्त गिरफ्तार–</u>

<u>कार्यवाहीः–</u>
पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड करते हुए 03 अभियुक्तो–01. दुर्गेश मिश्रा पुत्र जगदीश प्रसाद मिश्रा, 02. गुड्डू उर्फ हेटा पुत्र मजीद, 03. रूपेन्द्र सिंह उर्फ रौनक पुत्र दिनेश सिंह को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 05 अदद मोटरसाईकिलों को बरामद किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>
दिनांक 01.06.2026 को उ0नि0 प्रशान्त कुमार चौकी प्रभारी गुरुनानक मय पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध वाहन, व्यक्ति एवं वस्तुओं की चेकिंग के दौरान रेलवे स्टेशन मार्ग शेखपुर के पास स्थित खण्डहर से 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों में रूपेन्द्र सिंह उर्फ रौनक पुत्र दिनेश सिंह निवासी अमदही बाजार थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा, दुर्गेश मिश्रा पुत्र जगदीश प्रसाद मिश्रा निवासी सिंहपुर मौजा नकहा थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा तथा गुड्डु उर्फ हेटा पुत्र मजीद निवासी पटेल नगर घोसियाना थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा शामिल हैं। अभियुक्तों के कब्जे से 05 अदद चोरी की मोटरसाइकिलें, 01 अदद आई–टेल कम्पनी का की–पैड मोबाइल फोन, ₹2580/– नकद, दो अदद पेन्ट की डिब्बियाँ एवं एक ब्रश बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

<u>पूछताँछ का विवरण–</u>
गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया कि वे आपस में मिलकर जनपद गोण्डा एवं आसपास के क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चोरी करने का कार्य करते हैं। चोरी की गई मोटरसाइकिलों की पहचान छिपाने के लिए उनके नम्बर प्लेट तोड़ देते थे अथवा पेन्ट के माध्यम से फर्जी नम्बर अंकित कर देते थे। इसके बाद उक्त मोटरसाइकिलों को कम कीमत पर बेचकर अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करते थे। अभियुक्तों ने बताया कि बरामद मोटरसाइकिलों को विभिन्न स्थानों से चोरी कर रेलवे स्टेशन मार्ग शेखपुर के पास स्थित खण्डहर में छिपाकर रखा गया था। बरामद मोटरसाइकिलों में से एक मोटरसाइकिल थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत वाहन चोरी के मुकदमे से सम्बन्धित है। अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि चोरी की मोटरसाइकिलों को बेचने से प्राप्त धनराशि में से कुछ रुपये उनके पास बरामद हुए हैं तथा बरामद आई–टेल कम्पनी का की–पैड मोबाइल फोन भी उसी धनराशि से खरीदा गया था। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने यह भी बताया कि बरामद पेन्ट की डिब्बियों एवं ब्रश का उपयोग मोटरसाइकिलों के वास्तविक नम्बर मिटाकर फर्जी नम्बर अंकित करने में किया जाता था, जिससे पुलिस एवं वाहन स्वामियों को भ्रमित किया जा सके। अभियुक्तगण द्वारा अपने अपराध को स्वीकार करते हुए बताया गया कि वे संगठित रूप से वाहन चोरी कर उनके स्वरूप एवं पहचान में परिवर्तन कर विक्रय करने का कार्य करते थे। अभियुक्तों से प्राप्त अन्य जानकारियों के आधार पर चोरी की अन्य घटनाओं एवं बरामद वाहनों के सम्बन्ध में अग्रिम विवेचनात्मक एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण–

01\. दुर्गेश मिश्रा पुत्र जगदीश प्रसाद मिश्रा निवासी सिंहपुर मौजा नकहा थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।

02\. गुड्डू उर्फ हेटा पुत्र मजीद निवासी पटेल नगर घोसियाना थाना कैलाश नगर जनपद गोण्डा।

03\. रूपेन्द्र सिंह उर्फ रौनक पुत्र दिनेश सिंह निवासी अमदही बाजार थाना उमरीबेगमगंज जनपद।

पंजीकृत अभियोग–

01\. मु0अ0सं0–0505/2026 धारा 303(2),317(2),319(2),318(4),338,336(3) एवं 340(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग–

01\. मु0अ0सं0–452/26, धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01\. 05 अदद चोरी की मोटरसाइकिलें।

02\. 01 अदद आई–टेल कम्पनी का की–पैड मोबाइल फोन।

03\. ₹2580/– नकद।

04\. 02 अदद पेन्ट की डिब्बियाँ।

05\. 01 अदद ब्रश।

अभियुक्त दुर्गेश मिश्रा का आपराधिक इतिहास–

01\. मु0अ0सं0–199/21 धारा 379,411 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।

02\. मु0अ0सं0–129/21 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।

03\. मु0अ0सं0–393/22 धारा 411,419,420,467,468,411 भादवि थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।

04\. मु0अ0सं0–394/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।

05\. मु0अ0सं0–125/24 धारा 3 (1) उ0प्र0 गिरोह बंद अधिनियम थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।

06\. मु0अ0सं0–734/21 धारा 379,411 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

07\. मु0अ0सं0–662/24 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

08\. मु0अ0सं0–781/24 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

09\. मु0अ0सं0–010/25 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

10\. मु0अ0सं0–013/25 धारा 317(2),317(4),317(5),318(4),319(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

अभियुक्त गुड्डू उर्फ हेटा का आपराधिक इतिहास–

01\. मु०अ०सं०–14/26 धारा 457,380 भादवि थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

अभियुक्त रूपेन्द्र सिंह उर्फ रौनक का आपराधिक इतिहास–

01\. मु०अ०सं० 413/23 धारा 147,323,504,506 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01\. उ0नि0 श्री प्रशान्त कुमार पाण्डेय (चौकी प्रभारी गुरूनानक)

02\. का० मदन त्रिवेदी।

03\. का० अमित यादव।

04\. रि०का० उत्कर्ष पाण्डेय।

05\. रि०आ० प्रवीण कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 02.06.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 02 किलो 407 ग्राम नाजायज गांजा बरामद–

कार्यवाहीः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अभियुक्त इरशाद उर्फ शाहरुख पुत्र स्वर्गीय हसमत अली निवासी मालिया टोला पटेलनगर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को बशीरनगर से राधेपुरवा जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 02 किलो 407 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

जनपद गोण्डा में अपराध एवं अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। आज दिनांक 02.06.2026 को उ0नि0 प्रशांत गुप्ता मय पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील थे। इसी दौरान बशीरनगर से राधेपुरवा जाने वाले मार्ग पर एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम इरशाद उर्फ शाहरूख बताया। तलाशी लेने पर अभियुक्त के कब्जे से 02 किग्रा 407 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. इरशाद उर्फ शाहरुख पुत्र स्वर्गीय हसमत अली निवासी मालिया टोला पटेलनगर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–506/2026, धारा 8/20 एनडीपीएस ऐक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 02 किलो 407 ग्राम नाजायज गांजा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 प्रशान्त गुप्ता, चौकी प्रभारी पाण्डेय बाजार
02. उ0नि0 पिन्टू यादव
03. हे0का0 गिरिजेश यादव
04. का0 कृष्णा यादव
05. का0 आदर्श तिवारी
06. का0 बृजमोहन लोधी
07. का0 दीपक सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 02.06.2026</u>

<u>थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–</u>

<u>कार्यवाहीः–</u>
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह नेतृत्व में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–101/2026 धारा 109(1),333 बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त अशोक सिंह पुत्र सुखराज सिंह नि0 मुकुन्दपुर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को उसके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>
दिनांक 13.05.2026 को थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मुकुन्दपुर में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के मध्य मारपीट एवं फायरिंग की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची तथा जांच प्रारम्भ की गई। प्रथम पक्ष के विपिन सिंह ने ग्राम प्रधान अशोक सिंह पर गोली चलाने का आरोप लगाया, जबकि द्वितीय पक्ष के अशोक सिंह ने आरोप लगाया कि विपिन सिंह द्वारा निकाली गई पिस्टल छीनाझपटी के दौरान चल गई, जिससे विपिन सिंह घायल हुए। घटना में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोनो पक्षों के लिखित तहरीर के आधार पर थाना उमरीबेगमगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें आज दिनांक 02.06.2026 को थाना उमरीबेगमगंज पुलिस टीम द्वारा द्वितीय पक्ष के अशोक सिंह को उसके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त–</u>
01. अशोक सिंह पुत्र सुखराज सिंह नि0 मुकुन्दपुर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>
01. मु0अ0सं0– 101/2026 धारा 109(1),333 बीएनएस थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>
01. उ0नि0 बृजेश यादव
02. हे0का0 विजय नारायण पाण्डेय
03. का0 मुन्नालाल भारती

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>